रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072023-247597 CG-DL-E-25072023-247597

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 518] No. 518] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 25, 2023/श्रावण 3, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 25, 2023/SHRAVANA 3, 1945

# भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2023

सं. आरपी-4/16/(24)/2021-क्यूओएस.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 36 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण कुछ विनियमों को निरस्त करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

## भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण निरसन विनियम, 2023 (2023 का 02)

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-** (1) इन विनियमों को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण निरसन विनियम, 2023 कहा जा सकता है।
  - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. निरसन और बचत (1) इन विनियमों के लागू होने पर, निम्नलिखित विनियम निरस्त हो जाएंगे, अर्थात्:-
- (ए) डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेवा की सेवा गुणवत्ता पर विनियमन, 2001 (2001 का 4);
- (2) इन विनियमों के पिछले संचालन और उसमें जारी किए गए किसी भी निर्देश या आदेश या वैधता, अमान्यता, प्रभाव या पहले से की गई किसी भी कार्यवाही या की गई कार्रवाई, या किए जाने या किए जाने के लिए कथित, या किए जाने के लिए छोड़े गए या उसमें परिणाम के भुगतने को, उक्त उप-विनियम (1) में संदर्भित विनियमों का निरसन प्रभावित नहीं करेगा।

4780 GI/2023 (1)

वि. रघुनंदन, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./302/2023-24]

टिप्पणी : विवरणात्मक ज्ञापन "भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण निरसन विनियम, 2023" के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

### विवरणात्मक ज्ञापन

## 1. पृष्ठभूमि

- 1.1. डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेवा की सेवा गुणवत्ता पर विनियम, 2001 (2001 का 4) 10 दिसंबर 2001 को अधिसूचित किया गया था। यह विनियम सभी बुनियादी सेवा ऑपरेटरों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर लागू था, जिसमें मौजूदा ऑपरेटर जैसे बीएसएनएल, एमटीएनएल और वीएसएनएल शामिल थे। सेवा मानकों की गुणवत्ता निर्धारित करने के उद्देश्य थे:
  - i. नेटवर्क निष्पादन के मानदंड निर्धारित करके ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करना, जिसे सेवा प्रदाता को अपने नेटवर्क के उचित आयाम द्वारा प्राप्त करना आवश्यक है।
  - समय-समय पर सेवा की गुणवत्ता को मापना और उसकी तुलना निर्दिष्ट मानदंडों के साथ करना ताकि
     विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान किए गए निष्पादन के स्तर की निगरानी की जा सके।
  - iii. आम तौर पर इंटरनेट सेवाओं के ग्राहकों के हितों की रक्षा करना।
- 1.2 इस विनियम के खंड-IV के विनियम 4 में आईएसपी नोड तक डायल-अप पहुंच के लिए सेवा की गुणवत्ता के बेंचमार्क परिभाषित किए गए हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है:

	डायल अप एक्सेस के पैरामीटर/ सेवा संकेतक	बेंचमार्क (6 महीने के भीतर हासिल किया जाना है)
क.	सेवा सक्रियण का समय	6 घंटे
ख.	सेवा पहुंच	
	l) एक्सेस करने का समय	30 सेकंड
	II) निम्न में आईएसपी नोड तक पहुँचने की संभावना:	
	क) पहला प्रयास	80%
	ख) दूसरा प्रयास	90%
	ग) तीसरा प्रयास	99%
	III) आईएसपी नोड की अनुपलब्धता एक महीने में अधिक नहीं होनी चाहिए	30 मिनट
ग.	पीएसटीएन नोड को आईएसपी नोड से जोड़ने वाले लिंक पर सेवा का स्तर (जीओएस)।	100 में 1

जबिक 'क' और 'ख' के लिए आईएसपी जिम्मेदार होगा, 'ग' के लिए, आईएसपी और बीएसओ दोनों जिम्मेदार होंगे। जहां आवश्यक होगा, ये दोनों पक्ष संयुक्त रूप से समस्या का समाधान करेंगे।

1.3 इस विनियम के खंड-V के विनियम 5 में लीज्ड लाइन एक्सेस सेवा के लिए सेवा की गुणवत्ता के बेंचमार्क परिभाषित किए गए हैं। यह विनियम अधिदेशित करता है कि संबंधित पक्ष विलंबता, पैकेट हानि और सेवा उपलब्धता के संबंध में कुछ न्यूनतम स्तर के निष्पादन की गारंटी देते हुए सेवा स्तर समझौते (एसएलए) में प्रवेश करें।

प्राधिकरण ने केवल, एसएलए में एम्बेड किए जाने वाले निम्नलिखित सांकेतिक निष्पादन मापदंडों के संबंध में अनुशंसा की:

क्र.सं.	मापदंड	मानक
1	विलंब	भारत और विदेश में सबसे दूर के नोड के बीच ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन (ओएफसी) लिंक पर 300 मिली सेकंड से अधिक नहीं।

		भारत और विदेश में सबसे दूर के नोड के बीच उपग्रह लिंक पर 800 मिली सेकंड से अधिक नहीं।
2	पैकेट हानि	1% से अधिक नहीं
3	उपलब्धता	99% से कम नहीं

## 2. डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेवा की सेवा गुणवत्ता पर विनियम, 2001 (2001 का 4) को निरस्त करने का औचित्य:

- 2.1 डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेवा की सेवा गुणवत्ता पर विनियम, , 2001, सेवा प्रदाताओं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सेवा मानकों की गुणवत्ता निर्दिष्ट करने, नेटवर्क निष्पादन के साथ ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करने और इंटरनेट सेवा के ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ अधिसूचित किया गया था। इन विनियमों के तहत, सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली कोई निष्पादन रिपोर्ट निर्धारित नहीं है।
- 2.2 ये नियम तब जारी किए गए थे जब कम गित वाले इंटरनेट तक पहुंचने के लिए डायल अप सेवा ही एकमात्र सेवा थी। समय बीतने के साथ, दूरसंचार नेटवर्क, वायरलाइन और वायरलेस दोनों ही xDSL, FTTH, LTE आदि प्रौद्योगिकियों पर उच्च गित ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए विकसित हुए हैं। इसके अलावा, कोई भी सेवा प्रदाता डायल-अप सेवा के लिए किसी भी ग्राहक की सुचना नहीं दे रहा है। केवल बीएसएनएल मार्च 2021 तक डायल-अप ग्राहकों की सुचना दे रहा था और उसके बाद बीएसएनएल भी किसी डायल-अप ग्राहकों की सुचना नहीं दे रहा था। बीएसएनएल ने पत्र संख्या-बीएसएनएलसीओ-आरजीएलएन/24(15)/1/2020-आरईजीएलएन दिनांक 13-04-2021 के माध्यम से प्राधिकरण को एक प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया है, जिसमें कहा गया है कि आज की तारीख में उनके नेटवर्क में कोई भी डायल-अप ग्राहक मौजूद नहीं है।
- 2.3 लीज्ड लाइन एक्सेस सेवाएं आम तौर पर आईएसपी लाइसेंस रखने वाले इंटरनेट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर्स (आईजीएसपी) द्वारा पेश की जाती हैं। इन सेवाओं की पेशकश या तो उद्यमों को उनके लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) को पॉइंट-टू-पॉइंट लीज्ड लाइनों द्वारा इंटरनेट से जोड़ने के लिए, या आईएसपी के लिए की जाती है, जिनके पास अपनी अंतर्राष्ट्रीय गेटवे सुविधाएं नहीं हैं, ताकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट तक पहुंच प्रदान की जा सके। यह सेवा सेवा प्रदाता और ग्राहक के बीच एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट (एसएलए) आधारित सेवा है। इस सेवा के ग्राहक, सेवा प्रदाताओं के साथ एक-से-एक समझौते के आधार पर और अपनी स्थिति के आधार पर प्रभुत्व की स्थिति रखते हुए, सेवा निष्पादन संबंधी मुद्दों के संबंध में अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। सेवा प्रदाता उनकी परिवाद/शिकायतों को दूर करने को भी प्राथमिकता देते हैं, ताकि प्रतिस्पर्धीयों के साथ उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता से बचा जा सके।
- 2.4. कोई डायल अप ग्राहक नहीं होने, वायरलाइन के साथ-साथ वायरलेस सेगमेंट में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाओं की उपलब्धता होने और लीज्ड लाइन सेवा दो अनुबंधित पक्षों के बीच सेवा स्तर के समझौते पर आधारित सेवा होने के कारण, डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेवा की सेवा गुणवत्ता पर विनियम, 2001, वर्तमान संदर्भ में अधिक प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता है।

इसलिए, प्राधिकरण ने डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेवा की सेवा गुणवत्ता पर विनियमन, 2001 (2001 का 4) को आधिकारिक राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से निरस्त करने का निर्णय लिया है।

अस्वीकरण: यह विनियमन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए विनियमन का हिंदी अनुवाद है। किसी भी विसंगति के मामले में. विनियमन का अंग्रेजी लिखित संस्करण मान्य होगा।

## TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2023

**No. RP-4/16/(24)/2021-QoS.**—In exercise of the powers conferred upon it under section 36 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations to repeal certain regulations, namely:-

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA REPEALING REGULATIONS, 2023 (02 of 2023)

- **1. Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Telecom Regulatory Authority of India Repealing Regulations, 2023.
  - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Repeal and Savings.** (1) On coming into force of these regulations, the following regulations shall stand repealed, namely:-
- (a) Regulation on Quality of Service of Dial-Up and Leased Line Internet Access Service, 2001 (4 of 2001);
- (2) The repeal of the regulations, referred to in sub-regulation (1), shall not affect the previous operation of the said regulations and any directions or orders issued therein, or validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or any action taken, or purported to have been done or taken, or omitted to be done or suffered therein.

V. RAGHUNANDAN, Secv.

[ADVT.-III/4/Exty./302/2023-24]

**Note :** The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the "Telecom Regulatory Authority of India Repealing Regulations, 2023".

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

#### 1. Background

- 1.1. The regulation on quality of service of dial-up and leased line internet access service, 2001 (4 of 2001) was notified on 10<sup>th</sup> December 2001. This regulation was applicable to all the Basic Service Operators and Internet Service Providers, including the incumbent operators viz. BSNL, MTNL and VSNL. The purpose of laying down Quality of Service Parameters was to
  - i. Ensure customer satisfaction by laying down norms of network performance, which the service provider is required to achieve by proper dimensioning of his network.
  - ii. Measure the Quality of Service from time to time and to compare that with the specified norms so as to monitor the level of performance, provided by various service providers.
  - iii. To generally protect the interests of subscribers of the Internet services.
- 1.2 The regulation 4 of Section-IV of this regulation defines the Quality of Service benchmarks for Dial-up access to the ISP Node, as mentioned below:

	Parameters / Service Indicators of dial up access	Benchmarks (to be achieved within 6 months)
A	Service Activation Time	6 hrs
В	Service Accessibility	
	I) Time to access	30 sec
	II) Probability of accessing the ISP node in the:	
	a) First attempt	80%
	b) Second attempt	90%
	c) Third attempt	99%
	III) ISP node unavailability in a month not to exceed	30 min
C	Grade of Service (GOS) on the link connecting PSTN node to the ISP node	1 in 100

While for A and B the ISP will be responsible, for C, both ISP and BSO will be responsible. Where necessary both these parties will address the problem jointly.

1.3 The regulation 5 of Section- V of this regulation defines the Quality of Service benchmarks for Leased Line Access Service. This regulation mandates that the parties concerned enter into a Service Level Agreement (SLA), guaranteeing some minimum level of performance in regard to Latency, Packet Loss and Service Availability.

The Authority made recommendation only, in respect of the following indicative performance parameters to be embedded in the SLA:

S.No.	Parameters	Benchmarks
1	Latency	<ul> <li>Not to exceed 300 msec on Optical Fibre Communication (OFC) links between India and farthest node abroad.</li> <li>Not to exceed 800 msec on satellite links between India and farthest node abroad.</li> </ul>
2	Packet loss	Not to exceed 1%
3	Availability	Not less than 99%

# 2. Justification for repeal of the regulation on quality of service of dial-up and leased line internet access service, 2001 (4 of 2001)

- 2.1 The regulation on quality of service of dial-up and leased line internet access service, 2001, was notified with the primary aim of specifying the quality of service benchmarks to be achieved by the service providers, ensure customer's satisfaction with the network performance and to protect the interests of the subscribers of the internet service. Under these regulation, no performance report submission by the service provider is prescribed.
- 2.2 These regulations were issued when the dial up service was the only service available for accessing low speed internet. With the passage of the time, the telecommunication networks both wireline as well as wireless have evolved to offer high speed broadband service on xDSL, FTTH, LTE etc, technologies. Further, none of the service providers are reporting any subscriber for dial-up service. Only BSNL was reporting the dial-up subscribers until March'2021 and afterwards BSNL was also not reporting any dial up subscribers. BSNL vide letter no-BSNLCO-RGLN/24(15)/1/2020-REGLN dated 13-04-2021, has also submitted a certificate to the Authority, stating that no dial up subscribers exist in their network, as on date.
- 2.3 The Leased line access services are generally offered by Internet Gateway Service Providers (IGSPs) holding an ISP licence. These services are offered either to Enterprises to connect their Local Area Networks (LANs) to the Internet by point-to-point leased lines, or to ISPs who do not have their own International gateway facilities, so as to provide them access to International Internet Backbone abroad. This service is a Service Level Agreement (SLA) based service between service provider and the customer. The customers to this service, holding dominating position by virtue of one-to-one agreement with service providers and by virtue of his position, can safeguards its interests with regard to service performance related issues. The service providers also assign priority in attending to their grievance/complaints, so as to avoid their churn out to the competitors.
- 2.4. In view of the existence of no dial up subscribers, availability of high speed broadband services in wireline as well as wireless segment and leased line service being service level agreement based service between two contracting parties, the Regulation on Quality of Service of Dial-up and Leased line internet access service, 2001, appears to be no more relevant in the present context.

Hence, Authority decided to repeal the Regulation on quality of service of dial-up and leased line internet access service, 2001 (4 of 2001) with effect from date of its notification in Official Gazette.